न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —142/2019

अनवान : —

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुमन पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. सुनिता पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. मंजू पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. अनिता पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. नितू कुमारी पुत्री श्री कृष्ण कमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :—श्री पवन सिहाग **वादी**
श्री रोहताश शर्मा वकील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक: 23/01/2020

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि चक 2 सीएचएन के खाता सं0 71/118 के मुरबा नं0 6 के किला नं0 24 की 0.051 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 3 की 0.063 है0 किला नं0 4 की 0.215 है0 किला नं0 5 ता 7, 14 ता 18, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 4/1 की 0.089 है0 किला नं0 6 ता 14, 19 ता 21 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 6.9830 है0 नहरी 6.8200 है0, रास्ता 0.038 है0, खाला 0.125 है0,

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है।

उपर वर्णित कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पति है। प्रतिवादी सं0 1 को उपर वर्णित कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई है तथा प्रतिवादी सं0 1 परिवार का कर्ता खानदान होने के नाते दर्ज हो गई है किन्तु वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 ने उपर वर्णित कृषि भूमि में से अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि को वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है एवं प्रतिवादी सं0 1 के नाम से चक 9 एएमएस, 1 एमआरएन, 1 जेजीडब्ल्यु में अलग से कृषि भूमि है। इन चकों में प्रतिवादी सं0 1 के नाम दर्ज कृषि भूमि में वादी हक व हिस्सा नहीं ले रहा है। वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 ने अपने अपने हिस्सों की कृषि भूमि का वाहमी बंटवारा कर रखा है। चक 2 सीएचएन की कृषि भूमि वादी के हिस्से में आई हुई है एवं चक 9 एएमएस, 1 एमआरएन व 1 जेजीडब्ल्यु की कृषि भूमि प्रतिवादी सं0 1 के हिस्से में आई हुई है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया। प्रतिवादी सं0 7 पेरोकार राज ने जबाबदावा पेश किया।

साक्ष्य वादी में सुरेश कुमार के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1, प्रमाणित प्रतिलिपि चक 2 सीएचएन खाता सं0 71/118 सम्वत् 2074 से 77 प्रदर्श 2, सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 सीएचएन के खाता सं0 55/48 सम्वत् 2062 से 65 प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। सत्य प्रतिलिपि नामान्तरकरण रजिस्टर चक 2 सीएचएन की पेश की।

बहस वकील वादी सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अपने दावा के तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमने अभिभाषक वादी की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। हस्तगत वाद, वादी ने चक 2 सीएचएन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज कृषि भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु पेश किया है। वादी ने अपने दावा में जाहिर किया है कि कृषि भूमि संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिक सम्पति है। प्रतिवादी सं0 1 को वाद कृषि भूमि विरासतन प्राप्त हुई किन्तु वाद कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के साथ साथ वादी एवं प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 का भी जन्म से हक हिस्सा निहित है। जिसकी पुष्टि में वादी ने सत्य प्रतिलिपि जमाबन्दी चक 2 सीएचएन के खाता सं0 55/48 सम्वत् 2062 से 65 प्रदर्श 3 में वादी भूमि वादी की दादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

बोगी के नाम दर्ज है जिससे वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है एंव वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 1 में कृष्ण कुमार के वारिसान में पत्नी नानकोर एक पुत्र सुरेश कुमार व पांच पुत्रियां सुमन, सुनिता, मन्जु, अनिता, नितू कुमारी होना व इनके अलावा अन्य कोई वारिस नहीं होना अंकित है। प्रतिवादिया सं0 2 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में अपने हक हिस्सा की कृषि भूमि वादी के पक्ष में तर्क कर दिया है जिसे राजीनामा में स्वीकार किया है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने योग्य है।

अत : वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 सीएचएन के खाता सं0 71/118 के मुरबा नं0 6 के किला नं0 24 की 0.051 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 3 की 0.063 है0 किला नं0 4 की 0.215 है0 किला नं0 5 ता 7, 14 ता 18, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 4/1 की 0.089 है0 किला नं0 6 ता 14, 19 ता 21 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 6.9830 है0 नहरी 6.8200 है0, रास्ता 0.038 है0, खाला 0.125 है0, खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने भी वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 23/01/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
R.A.S
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री मुकेश बारैठ आर.ए.एस.

मि0न0 —142/2019

अनवान : —

1. सुरेश कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)

वादी

बनाम

1. कृष्ण कुमार पुत्र फुसाराम जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
2. सुमन पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
3. सुनिता पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
4. मंजू पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
5. अनिता पुत्री श्री कृष्ण कुमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
6. नितू कुमारी पुत्री श्री कृष्ण कमार जाति जाट निवासी जनाणा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ (राजस्थान)
7. राजस्थान सरकार जरिऐ तहसीलदार राजस्व भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ मुकेश बारैठ उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष कवील वादी श्री पवन सिहाग की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि चक 2 सीएचएन के खाता सं0 71/118 के मुरबा नं0 6 के किला नं0 24 की 0.051 है0, किला नं0 25 की 0.240 है0 मु0नं0 8 के किला नं0 3 की 0.063 है0 किला नं0 4 की 0.215 है0 किला नं0 5 ता 7, 14 ता 18, 24, 25 प्रत्येक किला की 0.253 है0 मु0नं0 9 के किला नं0 1 ता 3 प्रत्येक किला की 0.253 है0 किला नं0 4/1 की 0.089 है0 किला नं0 6 ता 14, 19 ता 21 प्रत्येक किला की 0.253 है0, कुल 6.9830 है0 नहरी 6.8200 है0, रास्ता 0.038 है0, खाला 0.125 है0, खातेदारी काश्तकारी कृषि भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1/6 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी खातेदार काश्तकार है। चूंकि प्रतिवादीया सं0 2 ता 6 ने वाद कृषि भूमि में से अपना हक हिस्सा वादी के पक्ष तर्क कर दिया है तथा प्रतिवादी सं0 1 ने भी वाद कृषि भूमि में से अपना हिस्सा त्याग दिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्सों पर पंजीयन विभाग को देय पंयजीन शुल्क व स्टाम्प ड्युटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार वादी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/01/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(मुकेश बारैठ)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़) R.A.S

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukesh Bareth
Date: 2020.03.13 12:15:02 IST
Reason: SelfAttested
Location: